



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 5/2020
GST Circular No. 2/2020

2018/AC-II/1/52

10th January, 2020

**General Managers
All Zonal Railways/Production Units**

Sub :- Submission of GST Annual Return for FY 2017-2018.

-X-X-X-

Central Board of Indirect Taxes and Customs vide order No. 10/2019-Central Tax dated 26th December, 2019 has notified that the last date for filing of GST Annual Return for the period from the 1st July, 2017 to 31st March, 2018, is extended to 31st January, 2020. All the Principal Railways may take note of the revised date and take further action to ensure GST compliance.

(V.Prakash)

**Joint Director/Accounts
Railway Board**

Copy to:-

1. PFAs of all Zonal Railways and Production Units;
2. All EDs of the ED level Empowered Committee in Railway Board;
3. All Directors of GST Cell, Railway Board.
4. Managing Director, Centre for Railway Information Systems, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director/Finance, CRIS, New Delhi.
6. GM/GSTM, CRIS, New Delhi.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 5/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 2/2020

सं. 2018/एसी-II/1/52

10 जनवरी, 2020

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय:- वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए जीएसटी वार्षिक विवरणी जमा करना.

-X-X-X-

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा दिनांक 26 दिसंबर, 2019 के आदेश सं. 10/2019-केंद्रीय कर के तहत अधिसूचित किया गया है कि 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए जीएसटी वार्षिक विवरणी भरने की अंतिम तारीख 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दी गई है। सभी मुख्य रेलें संशोधित तारीख पर ध्यान दें एवं जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई करें।

ह:

(वी. प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सभी क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों के प्रधान वित्त सलाहकार;
2. रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति के सभी कार्यपालक निदेशक;
3. जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड के सभी निदेशक.
4. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
5. निदेशक/वित्त, क्रिस, नई दिल्ली.
6. महाप्रबंधक/जीएसटीएम, क्रिस, नई दिल्ली.